संख्या-22/2018/-एस-55/38-2-2018-2(15)एस/2014

प्रेषक,

नागेन्द्र प्रसाद सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
दीनदयाल उपाध्याय,
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बक्शी का तालाब, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 16 मार्च, 2018**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष के मानक मद 14-मोटर गाड़ियों का क्रय हेतु प्रावधानित धनराशि की प्रशासनिक स्वीकृति।

महोदयए

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-381/वाहन/निष्प्रयोज्य/2003-04, दिनांक 09 मार्च, 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा रिप्लेसमेन्ट के आधार पर क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थानों हेतु 03 वाहन क्रय किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति शासन से प्रदान किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- वित्तीय वर्ष 2017-18 में 14-मोटर गाडियों के क्रय हेतु शासनादेश संख्या-8/2017/एस-71/38-2-2017-1ब(टी)/2016, दिनांक 25 अप्रैल, 2017 एवं शासनादेश संख्या-19/2017/एस-163/38-2-2017-1ब(टी)/2016, दिनांक 31 अगस्त, 2017 द्वारा क्रमश: रू0 8.75 लाख एवं रू0 12.25 लाख अर्थात् कुल रू0 21.00 लाख की बजट व्यवस्था के सापेक्ष निम्न विवरण के अनुसार 03-क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थानों के निष्प्रयोज्य वाहनों के स्थान पर प्रतिस्थापन स्वरूप डी0जी0एस0 एण्ड डी0 के नये जेम पोर्टल के अनुसार 03 नग नये वाहन क्रय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
लेखाशीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, 003-प्रशिक्षण, 03-कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान)

क्र0	निष्प्रयोज्य वाहन	कार्यालय/अधिकारी जिसके साथ वाहन सम्बद्ध था	प्रस्तावित वाहन
1	यू0एस0डी0-5758 (जीप)	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, बड़ौत, बागपत	टाटा सूमो गोल्ड C X P S BS-4
2	यू0पी0पी0-1691 (जीप)	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, बुलन्दशहर, ;वर्तमान में जनपद-गाजियाबाद में स्थानान्तरित)	टाटा सूमो गोल्ड C X P S BS-4
3	यू0पी0एक्स0-835 (स्टेशन वैगन जीप)	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, फैजाबाद	टाटा सूमो गोल्ड C X P S BS-4

3- उपरोक्त विवरण के अनुसार निष्प्रयोज्य वाहनों के स्थान पर प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहनों का क्रय निम्न शर्तोंएवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा :-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) प्रश्नगत वाहनों का क्रय डी0जी0एस0 एण्ड डी0 के नये जेम पोर्टल के अनुसार सूक्ष्म लघु एवं उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 23 अगस्त, 2017 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(2) प्रतिस्थापन स्वरूप क्रय किये जाने वाले वाहन का क्रय सूक्ष्म लघु एवं उद्यम अनुभाग-2 के संगत शासनादेशों में निर्धारित सीमा/धनराशि के अन्तर्गत किया जायेगा।

(3) महानिदेशक राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि निष्प्रयोज्य किये गये वाहन के सापेक्ष पूर्व में कोई वाहन क्रय नहीं किया गया है। प्रश्नगत वाहनों की नीलामी की धनराशि राजकोष के निर्धारित मद में जमा कर दी गयी है और इसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है।

(4) वाहन क्रय के सम्बन्ध में परिवहन विभाग के संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि का व्यय केवल प्रतिस्थापन स्वरूप वाहन क्रय मद में किया जायेगा, किसी अन्य मद में किया गया व्यय अनुमन्य न होगा।

(6) वाहन हेतु अनुमन्य धनराशि/स्वीकृति की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) महानिदेशक राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि उक्त वाहन के सन्दर्भ में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से वाहन क्रय न किया गया हो अर्थात् इसकी पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

4- इस निमित होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत प्रस्तर-2 में उल्लिखित लेखाशीर्षक के मानक मद 14-मोटर गाड़ियों का क्रय के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा ग्राम्य विकास विभाग की पत्रावली संख्या-2(15)एस/ 2014 पर प्राप्त सहमति के अनुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

नागेन्द्र प्रसाद सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-22/2018/एस-55(1)/38-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, बागपत, गाजियाबाद एवं फैजाबाद।
4- आचार्य, क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, बागपत, गाजियाबाद एवं फैजाबाद।
5- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र मिश्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in